


10.7.2020  
संबधित।

## अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।


सदिग्ध/अवैध जमाबदी रद्द अभिलेख सं० 55/2018-19  
बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एव कार्रवाई से

13/3/19

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्त
	<p>झारखंड सरकार के आपाक-2074/रा० दिनांक-13.05.2016</p> <p>सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एव भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा० म० निति-119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एव सह-पठित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या-914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जाच के क्रम में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है-</p> <p>मीजा-आमावाटा मीजा न०-09 खाता न० 28 प्लॉट न० 138 रकबा 10 कटठा की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबदी उस मीजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या 02 के पृष्ठ संख्या 201 पर जमाबदी रैयत श्री/श्रीमति राजेन्द्र प्रसाद शर्मा के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जाचोपरात उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबदी को सदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबदी किना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उदेश्य निजी लाभ एव राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतः- उपरोक्त जांच प्रतिवेदन पर अंचल-निरिक्षक का मतव्य प्राप्त करे। अभिलेख दिनांक 27/3/19 को रखे।</p>	


  
13.3.19  
अंचल अधिकारी,  
धनबाद।

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक से मतव्य / प्रतिवेदन अप्राप्त है।  
अभिलेख दिनांक 10/4/19 को रखे।

  
10.3.19  
अचल अधिकारी  
धनबाद।


अभिलेख उपास्थपित। अद्योहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।

अभिलेख दिनांक 24/4/19 को रखे।

  
10.4.19  
अचल अधिकारी  
धनबाद।

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मतव्य सहित प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करे। अभिलेख दिनांक


20/6/20 को रखे।

  
10.6.20  
अचल अधिकारी  
धनबाद।

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मौजा जामाघाटा मौजा नं० 09 खाता 28 प्लॉट नं० 138 रकबा 10.000 भूमि से सवधित है। आवेदित भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआबाद खाते की भूमि है। जमाबदी रेयत के खोज बिन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति सलग्न)। आवेदित भूमि दाखिल खारिज केस नं० 1121 (11) 92-93 के अनुसार कायम है। तत्कालीन अचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पजी को सदेहास्पद माना गया है। जिसे सवधित उप निरीक्षक एव अचल निरीक्षक ने उक्त जमाबदी को रद्द हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशसा सहित समर्पित किया

अतः जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजे।

लेखापित एव संशोधत।

  
10.6.20  
अचल अधिकारी,  
धनबाद।

  
10.6.20  
अचल अधिकारी,  
धनबाद।